चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/1925
दिनांक : 18 अगस्त, 2008

प्राचार्य,
ईश्वर दयाल परसन्दी देवी महाविद्यालय,
बुलन्दशहर

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–सम्ब0–210/सत्तर–2–2008–2(4)/2008, दिनांक 31.07.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **ईश्वर दयाल परसन्दी देवी महाविद्यालय, बुलन्दशहर** को **बी0बी0ए0** पाठ्यक्रम (दो सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एंव इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **ईश्वर दयाल परसन्दी देवी महाविद्यालय, बुलन्दशहर** को **बी0बी0ए0** पाठ्यक्रम (दो सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–
1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/679
दिनांक : 28/5/2010

सेवा में,

प्राचार्य,

आई0पी0 (पी0जी0) कालेज,

बुलन्दशहर

विषय :–बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में क्रमशः दो एवं एक अतिरिक्त सैक्शनों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने प्रस्ताव जोकि **आई0पी0 (पी0जी0) कालेज, बुलन्दशहर** के **बी0बी0ए0** एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में **सत्र 2010–2011 से क्रमशः दो एवं एक अतिरिक्त सैक्शन** की सम्बद्धता के सम्बन्ध में है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति जी द्वारा निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के आधार पर **बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में क्रमशः दो एवं एक अतिरिक्त सैक्शन में सत्र 2010–2011 से सम्बद्धता** की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आप बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश शैक्षिक सत्र 2010–2011 से करेंगे एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं विश्वविद्यालय के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे अन्यथा विश्वविद्यालय सम्बद्धता समाप्ति के सम्बन्ध में शासन को अवगत करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

इस अनुमति उपरान्त महाविद्यालय के पास बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में कुल 240 सीटों एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में कुल 300 सीटों की प्रवेश क्षमता होगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
3. प्रभारी, कमैटी सैल, चौ0 चरण सिह विश्वविद्यालय को आगामी कार्यपरिषद की बैठक के अनुमोदनार्थ।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

D.: Evening (827)